



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08122023-250498
CG-DL-E-08122023-250498

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4972]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 8, 2023/अग्रहायण 17, 1945

No. 4972]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 8, 2023/AGRAHAYANA 17, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2023

सं. 49/2023

विषय : प्याज की निर्यात नीति में संशोधन।

का.आ. 5201(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पठित यथा संशोधित विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्वारा आईटीसी (एचएस) निर्यात नीति की अनुसूची 2 के अध्याय 07 में प्याज की निर्यात नीति में निम्नानुसार संशोधन करती है:

प्रशुल्क मद एचएस कोड	इकाई	मद विवरण	निर्यात नीति	नीतिगत शर्त	संशोधित निर्यात नीति	संशोधित नीतिगत शर्त
0703 10 19	कि.ग्रा.	प्याज:	मुक्त	दिनांक 31 दिसम्बर, 2023 तक 800 अमेरिकी डॉलर एफ.ओ.बी. प्रति मीट्रिक टन (एम.टी.) की न्यूनतम निर्यात कीमत (एम.ई.पी.) के अधधीन	दिनांक 31.03.2024 तक निषिद्ध	.

2. यह अधिसूचना दिनांक 08 दिसम्बर, 2023 से लागू होगी। परिवर्ती व्यवस्था के संबंध में विदेश व्यापार नीति, 2023 के पैरा 1.05 के यथा अधीन प्रावधान इस अधिसूचना के तहत लागू नहीं होंगे। इसके अलावा, प्याज की खेप को निम्नलिखित तीन शर्तों में से किसी एक को पूरा करने पर निर्यात करने की अनुमति दी जाएगी:

- i. जहां प्याज को पोत पर लादने का कार्य इस अधिसूचना के पहले शुरू हो गया है;
- ii. जहां इस अधिसूचना से पहले शिपिंग बिल फाइल कर दिया गया है और भारतीय पत्तनों पर पोत की बर्थिंग हो चुकी है या वह पहुंच चुका है और लंगर डाल चुका है और उनका रोटेशन नम्बर आवंटित किया जा चुका है; ऐसे जहाजों में लदान की मंजूरी इस अधिसूचना से पहले प्याज की लदान के लिए जहाज की एंकरिंग/बर्थिंग के संबंध में संबंधित पत्तन अधिकारियों द्वारा पुष्टि के बाद ही जारी की जाएगी; और
- iii. जहां प्याज की खेप इस अधिसूचना से पहले सीमा शुल्क प्राधिकारियों को सौंप दी गई है और उनकी प्रणाली में पंजीकृत है / जहां प्याज की खेप इस अधिसूचना से पहले निर्यात के लिए सीमा शुल्क स्टेशन में प्रवेश कर चुकी है और इस अधिसूचना के जारी होने से पहले इन वस्तुओं के सीमा शुल्क स्टेशन में प्रवेश करने की तारीख और समय की मुहर सत्यापन योग्य साक्षा के साथ सीमा शुल्क स्टेशन के संबंधित अभिरक्षक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली में पंजीकृत हो चुकी है। निर्यात की अवधि 5 जनवरी, 2024 तक होगी।

3. अन्य देशों को भी उनकी सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार द्वारा दी गई अनुमति के आधार पर प्याज के निर्यात की अनुमति दी जाएगी।

4. अधिसूचना का प्रभाव:

एचएस कोड 0703 10 19 के तहत प्याज की निर्यात नीति को 31.03.2024 तक 'मुक्त' से संशोधित करके 'निषिद्ध' किया गया है।

[फा. सं. 01/91/171/50/विविध/एएम21/ई-26586]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार

और पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th December, 2023

No. 49/2023

Subject: - Amendment in export policy of Onions.

S.O. 5201(E).—In exercise of powers conferred by Section 3 read with section 5 of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992), as amended, read with Para 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy, 2023, the Central Government hereby amends the Export Policy of Onions in Chapter 07 of Schedule 2 of the ITC (HS) Export Policy, as under:

Tariff item HS Code	Unit	Item description	Export Policy	Policy condition	Revised Export Policy	Revised Policy condition
0703 10 19	KG	Onions:	Free	Subject to a Minimum Export Price (MEP) of US \$ 800 F.O.B. per Metric Ton (MT), till 31 st December, 2023.”	Prohibited till 31.03.2024.	--

2. The Notification will come into effect from 08.12.2023. The provisions as under Para 1.05 of the Foreign Trade Policy, 2023 regarding transitional arrangement shall not be applicable under this Notification. Further, consignments of onions will be allowed to be exported on fulfillment of any one of the following three conditions:

- i. where loading of onions on the ship has commenced before this Notification;
- ii. where the shipping bill is filed and vessels have already berthed or arrived and anchored in Indian ports for loading of onion and their rotation number has been allocated before this Notification; The approval of loading in such vessels will be issued only after confirmation by the concerned Port Authorities regarding anchoring/berthing of the ship for loading of onions prior to the Notification; and

- iii. where consignments of onions has been handed over to the Customs before this Notification and is registered in their system / where consignments onions has entered the Customs Station for exportation before this Notification and is registered in the electronic systems of the concerned Custodian of the Customs Station with verifiable evidence of date and time stamping of these commodities having entered the Customs Station prior to issuance of this Notification. The period of export shall be upto 5th January, 2024.
3. Export on onions will also be allowed on the basis of permission granted by the Government of India to other countries based on the request of their Government.

4. Effect of this Notification:

Export policy of onions under HS Code 0703 10 19 is amended from 'Free' to 'Prohibited, till 31.03.2024'.

[F. No. 01/91/171/50/Misc/AM21/e-26586]

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade
& Ex-Officio Addl. Secy.